

नागौर, चूरू तथा अजमेर में नवीन राजस्व ग्राम घोषति

चर्चा में क्यों?

5 जनवरी, 2022 को राजस्थान सरकार ने अलग-अलग अधिसूचनाएँ जारी कर चूरू, अजमेर, नागौर ज़िले के मजरो एवं ढाणयिों को नवीन राजस्व ग्राम घोषति कयिा ।

प्रमुख बदि

- राजस्व वभिग दवारा जारी अधिसूचना के अनुसार नागौर ज़िले की तहसील कुचामन सटि के मूल राजस्व ग्राम सबलपुरा को नवीन राजस्व ग्राम नाडापुरा एवं सधिपुरा को शहीद रामेशवर नगर नवीन राजस्व ग्राम घोषति कयिा गया है ।
- इसी प्रकार अजमेर की तहसील भनिय के पाडलयािा मूल राजस्व ग्राम को गोरधनपरा तथा गुढाखुर्द को इंद्रपुरा नवीन राजस्व ग्राम घोषति कयिा गया है । अजमेर में ही सोमलपुर मूल राजस्व ग्राम को आगला कांकड, शाही, चंदवाला तथा डाली नवीन राजस्व ग्राम घोषति कयिा गया है ।
- अधिसूचना के अनुसार चूरू ज़िले के रामदेवरा तथा जसरासर राजस्व ग्राम को जसरासर बास नवीन राजस्व ग्राम घोषति कयिा गया है ।
- इन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावति मूल एवं नवीन राजस्व ग्राम के अभलिखों के अलग-अलग संधारण के लयिे तथा इनकी पृथक्-पृथक् जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नकशे अभलिखों के परशिोधन कार्य के लयिे संबधति ज़िलों के कलक्टर को अधकित्त कयिा गया है ।
- राज्य सरकार दवारा जारी एक अन्य अधिसूचना में चूरू के पटवार मंडल जसरासर एवं नाकरासर का पुनर्गठन कयिा गया है । जसरासर गाँव के क्षेत्राधिकार में अब जसरासर, रामपुरा बास, दुधवामीठा, जसरासर बास राजस्व ग्राम सम्मलिति होंगे तथा नाकरासर गाँव में नाकरासर तथा रामदेवरा राजस्व ग्राम को सम्मलिति कयिा जाएगा ।